मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक एफ 2-14/2018/सात-7/2021/608 भोपाल, दिनांक- 06 /10/2021

प्रति,

कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय:- फौती नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों का त्वरित निराकरण।

शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि तहसील न्यायालयों में फौती नामांतरण एवं बंटवारा प्रकरणों में निराकरण में विलंब हो रहा है। इन प्रकरणों में विलंब का मूल कारण वारिसों / सहखातेदारों की अनुपस्थिति बताई जाती है। पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण प्रकरणों में लंबितता न्यायोचित नहीं है। कृपया अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निम्न मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इन प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने की कार्यवाही के निर्देश दिये जाये:

1. फौती नामांतरणों के प्रकरणों में भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के अंतर्गत अविवादित नामांतरण की स्थिति में 30 दिवस के अंदर नामांतरण आदेश किये जाने का प्रावधान है। नामांतरण प्रकरणों में यह कार्यवाई पटवारी / नगर सर्वेक्षक अथवा भूमि में हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। इन प्रकरणों में नामांतरण संबंधित नोटिस तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर तथा उससे संबंधित ग्राम या सेक्टर में विहित रीति से प्रकाशित करने का प्रावधान है। तहसीलदार हितबद्ध समस्त व्यक्तियों को तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को, जो कि विहित किये जाऐं, ऐसे प्ररूप में तथा विहित रीति म0प्र0 भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम 2019 के भाग -2 समन, सूचना, उदघोषणा एवं वारंट कंडिका 15 से 36 में वर्णित रीति से है, में नोटिस जारी करेगा । यदि किसी प्रकार का विवाद / आपत्ति न्यायालय को प्राप्त नहीं होती है तो नियमानुसार निर्धारित अवधि में नामांतरण आदेश पारित किया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरणों में सभी हितबद्ध पक्षकारों की सूचना उपरांत व्यक्तिश: उपस्थिति ना होने के कारण प्रकरण को लंबित करना उचित नहीं है।

   प्राय: भूमि के विक्रय के आधार पर नामांतरण प्रकरणों में विक्रेता की व्यक्तिश: उपस्थिति ना होने के कारण भी प्रकरण लंबित हो रहे हैं। अक्सर विक्रेता भूमि के विक्रय उपरांत क्रेता के नामांतरण में रूचि नहीं लेते। फलस्वरूप वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते। इन प्रकरणों में यदि सार्वजनिक उदघोषणा के प्रकाशन एवं विक्रेता को सूचनापत्र जारी करने के उपरांत भी विक्रेता न्यायालय में उपस्थित नहीं होता ओर ना ही उसकी ओर से कोई आपत्ति न्यायालय के सामने आती है तो विक्रेता की मौन स्वीकृति मानते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एवं गुण दोषों पर आदेश पारित किया जा सकता है।

3/ खाते के विभाजन सहखातेदार द्वारा या भूमिस्वामी के जीवनकाल में खाते के विभाजन संबंधित संहिता में क्रमश: धारा 178 तथा 178-क में प्रावधान है जिसके अंतर्गत बने नियम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020 है।

आवेदक द्वारा खाते के विभाजन के प्रकरणों में उपरोक्त नियमों के अंतर्गत उद्घोषणा तथा हितबद्ध पक्षकारों को विहित रीति से सूचना की तामिली होने के बाद प्रकरण में यदि कोई आपतियां प्राप्त नहीं हुई है तो ऐसे प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए। प्राय: विधिवत् उद्घोषणा होने और हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र की तामिली होने के बाद भी उनके अनुपस्थित रहने पर पुन: सूचना पत्र जारी किये जाते है जिसके कारण प्रकरण लंबित हो रहे हैं।

खाते के विभाजन के ऐसे प्रकरण जिसमें आवेदकों द्वारा नियम 6 के उप नियम (1) के परन्तुक के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत विभाजन विलेख के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं तो, विलेख की वैधता सुनिश्चित करने के बाद विभाजन विलेख के अनुसार कार्यान्वित करने के प्रावधान है।

संहिता की धारा 178-क के अधीन प्रस्तुत आवेदन में नियम 6 के उप नियम (2) में खाता आवेदक भूमिस्वामी की स्व अर्जित सम्पति है और ऐसा भूमिस्वामी खाते का प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या रजिस्ट्रीकृत विभाजन विलेख प्रस्तुत करता है और पक्षकार इस संबंध में आपत्ति नहीं करता है या उठाई गयी आपत्ति विचार में लेकर तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दी जाती है तो प्रस्तावित विभाजन (फर्द बंटवारा) या विभाजन विलेख के अनुसार खाते के विभाजन किये जाने के प्रावधान है।

अत: ऐसे प्रकरणों में यदि विधिवत् उद्घोषणा एवं हितबद्ध पक्षकारों को सूचना तामिली हो गयी है तो पक्षकारों की अनुपस्थिति में भी उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण को निराकृत किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए फौती नामांतरण एवं बंटवारों के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाई सुनिश्चित की जाये। मासिक बैठकों में इन प्रकरणों की समीक्षा भी की जाना सुनिश्चित करें।

6/10/21

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन

पृ.क्रमांक- एफ 2-14/2018/सात-7/2021/609 भोपाल, दिनांक- 06 /10/2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, राजस्व राहत भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. संभागीय आयुक्त संभाग समस्त की ओर सूचनार्थ ।

6/10/21
प्रमुख सचिव
राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन